2022/121

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02-07-24	वकील प्रार्थी उप. । पत्रावली वास्ते साबिक कार्यवाही हेतु दि. 19-09-24 को पेश हो। [signature]	
15-09-24	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है / अन्य कार्य मे व्यस्थ है / अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 25-10-24 को पेश हो [signature]	
25/10/24	वकुलाय उप०। पत्रावली में TDR, ब्रेदी की रिपोर्ट अप्राप्त हैं। पुनः पत्र जारी होकर पत्रावली दि० 20/11/24 को पेश हो। [signature]	
20/11/24	पत्रावली पेश हुई [illegible] कार्यवाही हेतु दिनांक 13/01/25 [signature]	
13/01/25	वकु० उप०। TDR, ब्रेदी की रिपोर्ट जरिये पत्रांक राज.स्व/2024/1495 दि० 30.09.2024 प्राप्त पत्रावली हैं। बहस सुनी गई। पत्रावली आदेश दि० 17/01/25 को पेश हो। [signature]	
17/01/25	वकु० उप० [illegible] पूर्व से लिखा जाकर [illegible] हो। पत्रावली [illegible] होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.02.28 19:49:03 IST
Reason: SelfAttested

बर व तारीख
जो इस हुक्म
में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी राजस्थान

मिसल नंबर	दायरा दिनांक	पीठासीन अधिकारी
91 / प्रा०प० / 2022	07.11.2022	हरविन्दर डी० सिंह, आर०ए०एस०

नन्दलाल आत्मज बाबूलाल जाति कुम्हावत् निवासी ग्राम रघुवीरपुरा तहसील व जिला बून्दी राजस्थान।

—प्रार्थी

—बनाम—

राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार बून्दी जिला बून्दी राज०।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—136 राज0 भू—राजस्व अधि0, 1956
बाबत् राजस्व नक्शें में तरमीम किये जाने रास्ता

निर्णय

दिनांक—17.01.2025

उपस्थित— प्रार्थी की ओर से एडवोकेट श्री अनन्त शर्मा।
अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की कृषि भूमि खसरा संख्या 140 रकबा 0.7306 हैक्टेयर खसरा नंबर 141 रकबा 0.4076 हैक्टेयर, खसरा संख्या 142 रकबा 0.5998 हैक्टेयर, खसरा संख्या 143 रकबा 0.0461 हैक्टेयर, खसरा संख्या 144 रकबा 0.2615 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 2.0456 हैक्टेयर वाके ग्राम रघुवीरपुरा तहसील एवं जिला बून्दी में स्थित हैं। उपरोक्त वर्णित प्रार्थी के खातेदारी की भूमि में खसरा संख्या 143 गै०मु०चा० की भूमि हैं जिसमें बने हुये कुएं से प्रार्थी के खातेदारी की उपरोक्त वर्णित आराजी की सिंचाई होती है। इसके साथ ही प्रार्थी ने उक्त भूमि में कृषि कार्य करने हेतु भूमि को सम्भालने एवं रहवास के लिए दो कमरे निर्मित कर रखे हैं। प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की उपरोक्त वर्णित भूमि में काश्तकारी हेतु आने जाने, हंकाई जुताई हेतु ट्रेक्टर ट्रोली लाने ले जाने एवं काश्तकारी का कार्य करने हेतु आवागमन के लिए एक मात्र उपलब्ध रास्ता बून्दी—चित्तोड मुख्य सडक से दक्षिणी ओर गांव में आने वाले रास्ते की ओर होते हुये पूर्वी ओर घुमकर रामकिशन एवं गोपाल कुमावत के मकानो के बीच में से होकर पूर्वी ओर करीबन 15 फिट चौडा रास्ता प्रार्थी के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 144 में पहुंचता हैं उक्त [illegible] प्रार्थी के खातेदारी की चरण संख्या 1 में अंकित आराजी में आने—जाने एवं ट्रेक्टर [illegible] ले जाने एवं काश्तकारी के कार्य के लिए आवागमन का अन्य कोई रास्ता [illegible] हैं। उक्त रास्ता गांव में आने वाले रास्ते से पूर्वी ओर [illegible] भूमि खसरा [illegible] 145 [illegible] खलियान में होकर प्रार्थी के खाते की भूमि [illegible] संख्या 144 [illegible] पहुंचता हैं। यह रास्ता प्रार्थी के पूर्वजो के समय से यानि 100 [illegible] वर्तमान में उक्त रास्ता पक्का बना हुआ हैं जो वर्तमान [illegible] राजस्व नक्शे में प्रार्थी के खातेदारी की भूमि में पहुंचने वाले एक मात्र उपलब्ध उप[illegible] वर्णित रास्ते को नक्शें में तरमीम नहीं हो रही है जिससे प्रार्थी के कानूनी हको पर कुठाराघात हो रहा है। क्योंकि उपरोक्त वर्णित रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के खातेदारी की उक्त भूमि में काश्तकारी हेतु आवागमन के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित प्रार्थी के खातेदारी की भूमि में काश्तकारी हेतु आवागमन के लिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.02.28 19:49:03 IST
Reason: SelfAttested

Enx